

कार्यालय – मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 1526

दिनांक:- 13/6/2024

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1391 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा जून, 2024 में दिनांक 23.06.2024 को राजकीय अवकाश के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र की सीमा में जयपुर, बस्सी, सांगानेर व चाकसू मुख्यालय पर उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 164 दं.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन तथा धारा 176 दं.प्र.सं., 1973 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य करने व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करने हेतु जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के जयपुर व सांगानेर मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक अतिलिखित करते हुए प्रशासनिक कारणों से राजकीय अवकाश दिनांक 23.06.2024 को जयपुर, बस्सी, सांगानेर व चाकसू मुख्यालय का आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु जयपुर मुख्यालय स्थित न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट (पूर्व), जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी सुश्री रेणू मोटवानी, आर.जे.एस. को अधिकृत किया जाता है।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।

क्रमांक:- 1527 to 1534

दिनांक:- 13/6/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
2. सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
3. दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।
4. न्यायालय-महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11/18(सांगानेर), महानगर मजिस्ट्रेट (पूर्व), जयपुर महानगर प्रथम।
5. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
6. आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
8. वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।